

392

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: एफ.3(55)नविवि/3/2002

जयपुर, दिनांक: 25 NOV 2016

आदेश

विषय:- भूमि आवंटन नीति, 2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो को निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां प्रत्योजित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 180/2015 दिनांक 12.09.2015 के अनुसार में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी कर राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 9 द्वारा भूमि आवंटन के प्रावधान किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि भूमि आवंटन नीति, 2015 में राजकीय विभागों एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम आदि को भूमि आवंटन हेतु अधिकतम क्षेत्रफल निर्धारित किया हुआ नहीं है।

विभाग द्वारा पूर्व में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.06.2016 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल प्रदाय योजनाओं आदि के लिये 1000 वर्गमीटर से नीचे की भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की शक्तियां प्राधिकरण/न्यासों को प्रदत्त की गयी है।

इसी के अनुरूप राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 सहपठित नियम 15(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों/न्यासों/नगरीय निकायो को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है :-

1	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इफास्ट्रेक्चर हेतु भूमि आवंटन	1000 वर्गमीटर तक
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4000 वर्गमीटर तक
3	उप स्वास्थ्य भवन	500 वर्गमीटर तक
4	पुलिस थाना	2000 वर्गमीटर तक
5	पुलिस चौकी	500 वर्गमीटर तक

उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य के राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जावे। यह आदेश समस्त नगरीय निकायों पर तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है।

आज्ञा से,

(राजेश सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

(221)